बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र06 विविध–15/2020 2087 खाद्य, पटना/दिनांक 16/05/2020

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः– अन्य राज्यों से वापस आये प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न वितरण के संबंध में।

प्रसंगः– भारत सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का पत्र क्रमांक F.No.-7-1/2019-BP.III(Pt.)(ii), दिनांक 15 मई, 2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी के आलोक में विभिन्न चरणों में लागू लॉक डाउन की अवधि के बीच श्रमिकों को अपने–अपने राज्यों में भेजे जाने के लिए दी गयी सुविधा के क्रम में विभिन्न राज्यों से बिहार के श्रमिक भी बिहार में वापस आ रहे हैं। लॉक डाउन की स्थिति में श्रमिकों के समक्ष रोजी–रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि इस आपदा की घड़ी में कोई भी प्रवासी श्रमिक/परिवार खाद्यान्न से वंचित नहीं हो, इसके लिए राज्य सरकार सभी प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न उपलब्ध करायी जाने हेतु तत्पर है। वैसे प्रवासी श्रमिक जो राज्य/केन्द्र की किसी भी योजना के अंतर्गत राशन कार्डधारी नहीं है, उन्हें मुफ्त में दो माह (मई एवं जून, 2020 के लिए) 05 किलो चावल प्रति व्यक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं :–

1. प्रवासी श्रमिकों की पहचान–

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जिलावार/पंचायतवार, विवरणी/सूची को जिलों को Excel Sheet में उपलब्ध कराया जायेगा। प्रवासी व्यक्तियों की डेटा एन्ट्री में उनका नाम, पिता/पति का नाम, प्रवास से वापस आए सभी सदस्यों का नाम, आधार नम्बर एवं मोबाईल नम्बर की एन्ट्री करनी होगी। सभी सदस्यों के आधार नम्बर की एन्ट्री करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक परिवार के एन्ट्री में कम से कम 01 सदस्य के मोबाईल नम्बर की एन्ट्री अनिवार्य रूप से की जाये ताकि खाद्यान्न वितरण से संबंधित सूचना संबंधित परिवार को उनके द्वारा दर्ज मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से दी जा सके।

सभी जिला पदाधिकरी सर्वेक्षण उपरांत प्राप्त सूची को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना को दिनांक 18.05.2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तदोपरांत प्राप्त सूची को राशन कार्ड के डाटाबेस से De-duplicate कराने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जायेगी। साथ हीं त्वरित कार्य निष्पादन हेतु यह अत्यावश्यक है कि जिला पदाधिकारियों द्वारा प्रवासी श्रमिकों के अंतिम सूची तैयार करने में इस तथ्य को ध्यान में रखा जाये कि उनका नाम पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी अथवा अन्त्योदय परिवार के सदस्यों में नहीं हो अर्थात किसी प्रवासी श्रमिकों को दोहरा लाभ नहीं दिया जाय।

2. खाद्यान्न उठाव की वैध तिथि–

प्रवासी श्रमिकों के लिए माह मई, 2020 हेतु अतिरिक्त आवंटित खाद्यान्न का उठाव दिनांक 31.05.2020 और जून, 2020 के लिए दिनांक 15.06.2020 निर्धारित है। माह मई एवं जून, 2020 के लिए आवंटित अतिरिक्त खाद्यान्न का एक मुस्त उठाव दिनांक 14.06.2020 तक किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी निर्धारित तिथि तक खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण करने हेतु अविलंब एक कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन करेंगे जिससे निर्धारित तिथि तक खाद्यान्न का उठाव निश्चित रूप से हो जाय।

3. खाद्यान्न का आवंटन, उठाव एवं वितरण–

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों से वैसे प्रवासी श्रमिकों की अंतिम सूची (जिनका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी एवं अन्त्योदय परिवार की सूची में नहीं है) के अनुसार 05 किलो चावल प्रति व्यक्ति के हिसाब से दो माह मई एवं जून, 2020 के लिए उपावंटित की जायेगी। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से प्रवासी श्रमिकों की संख्या के अनुसार संबंधित पंचायत में एक या दो जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को चिन्हित कराकर उठाव एवं वितरण कराने का निदेश दिया जायेगा।

प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त में चावल वितरण करने हेतु प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है। प्रवासी श्रमिकों को चावल मुफ्त में उपलब्ध कराने हेतु चिन्हित जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा ई0–पॉस मशीन के साथ–साथ विहित प्रपत्र में वितरण पंजी भी तैयार की जायेगी। जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा प्राप्त चावल की प्राप्ति एवं वितरण के लिए अलग से भंडार पंजी तथा वितरण पंजी संधारित की जायेगी, जिसमें खाद्यान्न प्राप्ति की प्रविष्टी के साथ–साथ प्रवासी श्रमिकों का नाम, दिनांक एवं खाद्यान्न की मात्रा वितरण पंजी में दर्ज करते हुए उनका हस्ताक्षर/निशान लिया जायेगा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पंजी का संधारण तथा वितरण सुनिश्चित की जायेगी। (विहित प्रपत्र संलग्न)

4. खाद्यान्न वितरण पर निगरानी –

(क) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा खाद्यान्न वितरण पर निगरानी रखने हेतु प्रखण्ड/पंचायत स्तरीय पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी जिनके समक्ष खाद्यान्न वितरण किया जायेगा तथा खाद्यान्न वितरण पंजी पर हस्ताक्षर भी किया जायेगा।

(ख) **नियंत्रण कक्ष –**

कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने हेतु लागू लॉक डाउन में आपदा की स्थिति में कार्यरत नियंत्रण कक्ष में प्रवासी श्रमिक के पहचान तथा श्रमिक खाद्यान्न दिवस को खाद्यान्न वितरण से संबंधित शिकायतें प्राप्त की जायेगी तथा नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इसका त्वरित अनुश्रवण किया जायेगा।

(ग) **निगरानी एवं सतर्कता समिति द्वारा अनुश्रवण–**

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा प्रवासी श्रमिकों की पहचान तथा खाद्यान्न वितरण में आवश्यक सहयोग लिया जायेगा। निगरानी समितियों के सदस्यों द्वारा खाद्यान्न वितरण का अनुश्रवण किया जायेगा।

कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए आवश्यक सामाजिक दूरी (Social Distancing) के साथ Proper Hygiene and Sanitation बनाये रखते हुए प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न का वितरण किया जाय, साथ हीं कोरोना वायरस के फैलने से रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक उपाय 'क्या करें और क्या नहीं करें' के संबंध में पूर्व से दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः– यथोक्त।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– प्र06 विविध–15/2020 2087 खाद्य, पटना/दिनांक– 16/05/2020

प्रतिलिपिः– अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

आत्म निर्भर भारत अन्तर्गत खाद्यान्न (चावल) का भंडार पंजी

दिनांक	प्रारंभिक भंडार	प्राप्ति	कुल योग	विक्रय मात्रा	अवशेष भंडार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

आत्म निर्भर भारत अंतर्गत खाद्यान्न का दैनिक बिक्री पंजी

दिनांक	क्रमांक	प्रवासी श्रमिक / परिवार के सदस्य का नाम /	आधार कार्ड संख्या	मुफ्त खाद्यान्न		हस्ताक्षर / निशान
				चावल (05 किलो प्रति सदस्य)	चना	
1	2	3	4	5	6	7

F.No.7-1/2019-BP.III(Pt.)(ii)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Deptt. Of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 15th May, 2020

To,

1. The Food Secretaries/Commissioners/Addl. Secretaries (All States/UTs)

2. The Chairman-cum-Managing Director, Food Corporation of India, New Delhi.

Subject: Allocation of foodgrain to the Migrant @ 5kg per person per month for two months free of cost as part of Economic measures (Atma Nirbhar Bharat) reg.

Sir/Madam,

In continuation of this Department O.M. No. 7-1/2019-BP.III(Pt.)(i) dated 15.05.2020 on the above cited subject, I am to convey allocation of foodgrain for stranded migrants, who are not covered under National Food Security Act (NFSA) or State Scheme PDS Cards @ 5 kg per person per month free of cost for a period of two months (May & June, 2020) as per Annexure.

2. The allocation shown against each State/UT is the maximum limit of allocation under the scheme. The State may utilize it for distribution among stranded migrants as per actual basis or up the limit indicated in the Annexure, whichever is lesser. The states/UTs

(i) Shall use these allocated foodratins solely for distribution among stranded migrants subject to the condition that they are not covered under the NFSA or any State Scheme PDS Cards.
(ii) Identification of beneficiaries and distribution of foodgrain to such beneficiary will be the responsibility of respective State / UT Government.
(iii) A mechanism may be put in place by the States / UTs to share their details after fully distributing respective allocated foodgrains, with the Department of Food and Public Distribution, by and large on the pattern adopted in the case of PMGKAY.
(iv) States / UTs may report the distribution details with left over/balance foodgrain, if any, to this Department not later than **15 July, 2020**.

3. The validity period for lifting the additional allocation for the month of May, 2020 will be upto 31.05.2020 and for June, 2020 will be upto 15.06.2020. If the States / UTs desires, they may lift the entire additional allocation for the month of May and June, 2020 in one go for which validity period will be 30 days from the date of issue of this letter.

Yours faithfully,

Encl: As above.

अभय कुमार / ABHAY KUMAR
(Abhay Kumar)
अवर सचिव / Under Secretary
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 011-23385726
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
खाद्य एवं सा. वि. विभाग / Deptt. of Food & Public Distribution
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

Scanned with C

F.No.7-1/2019-BP.III(Pt)(ii)

Copy to:

1. The Chairman-cum-Managing Director, Food Corporation of India, New Delhi.
2. AS &FA, DFPD
3. Economic Adviser(NFSA)
4. ED (Sales) /General Manager (Sales), FCI, New Delhi.
5. The GM, FCI, Regional Offices, concerned.
6. The Resident Commissioner, All States/UTs, New Delhi.
7. Dir (PD)/Dir (Policy)/Dir (Finance & Budget)/Dir(Movt.)/Joint. DS(NFSA)/DS(Finance) /DS(BP).
8. NFSA/BP-I / Py.I /PD.I/PD.II/PD.III/ Movt.I / FC A/c sections
9. NIC, Deptt. of Food & PDwith the request to upload this allocation letter on the official website of this Department.
10. Hindi section with the request to provide the translated version of the order in hindi.
11. State file / Guard file.

Copy also forwarded for information to:

1. PS to Hon'ble MCAF&PD.
2. PS to MoS, CAF&PD
3. PPS to Secy, DFPD
4. PPS to Secy, DEA

ABHAY KUMAR
Under Secretary
Government of India

Scanned with C

Additional allocation of foodgrains for Migrants

ANNEXURE

Sl. No.	States/ UTs	Beneficiaries under NFSA (In Lakh)	10 % of Total beneficiaries (In Lakh)	Allocation for one month @ 5kg/person/month (In MT)			Allocation for two months (In MTs)			Ratio in which foodgrains are to be given		
				Wheat	Rice	Total	Wheat	Rice	Total	Wheat	Rice	Total
1	Andhra Pradesh	268.23	26.823	0	13411.5	13411.5	0	26823	26823			
2	Arunachal Pradesh	8.21	0.821	0	410.5605	410.5605	0	821.121	821.121	0.00	100.00	100.00
3	Assam	251.53	25.153	0	12576.462	12576.462	0	25152.924	25152.924	0.00	100.00	100.00
4	Bihar	864.50	86.450	0	43224.848	43224.848	0	86449.696	86449.696	0.00	100.00	100.00
5	Chattisgarh	200.77	20.077	0	10038.5	10038.5	0	20077	20077	0.00	100.00	100.00
6	Delhi	72.73	7.273	2909.3296	727.3324	3636.662	5818.6592	1454.6648	7273.324	80.00	20.00	100.00
7	Goa	5.32	0.532	0	265.997	265.997	0	531.994	531.994	0.00	100.00	100.00
8	Gujarat	382.54	38.254	13388.75545	5738.03805	19126.7935	26777.5109	11476.0761	38253.587	70.00	30.00	100.00
9	Haryana	126.49	12.649	6324.5	0	6324.5	12649	0	12649	100.00	0.00	100.00
10	Himachal Pradesh	28.64	2.864	0	1432.228	1432.228	0	2864.456	2864.456	0.00	100.00	100.00
11	Jharkhand	263.70	26.370	0	13185.0115	13185.0115	0	26370.023	26370.023	0.00	100.00	100.00
12	Karnataka	401.93	40.193	0	20096.5	20096.5	0	40193	40193	0.00	100.00	100.00
13	Kerala	154.80	15.480	0	7740.006	7740.006	0	15480.012	15480.012	0.00	100.00	100.00
14	Madhya Pradesh	546.42	54.642	0	27321	27321	0	54642	54642	0.00	100.00	100.00
15	Maharashtra	700.17	70.017	0	35008.5	35008.5	0	70017	70017	0.00	100.00	100.00
16	Manipur	24.57	2.457	0	1228.3905	1228.3905	0	2456.781	2456.781	0.00	100.00	100.00
17	Meghalaya	21.46	2.146	0	1072.7585	1072.7585	0	2145.517	2145.517	0.00	100.00	100.00
18	Mizoram	6.68	0.668	0	334.1075	334.1075	0	668.215	668.215	0.00	100.00	100.00
19	Nagaland	14.05	1.405	0	702.3435	702.3435	0	1404.687	1404.687	0.00	100.00	100.00
20	Odisha	323.60	32.360	0	16179.808	16179.808	0	32359.616	32359.616	0.00	100.00	100.00
21	Punjab	141.45	14.145	7072.5	0	7072.5	14145	0	14145	100.00	0.00	100.00
22	Rajasthan	446.62	44.662	22331	0	22331	44662	0	44662	100.00	0.00	100.00
23	Sikkim	3.79	0.379	0	189.394	189.394	0	378.788	378.788	0.00	100.00	100.00
24	Tamil Nadu	357.34	35.734	0	17866.856	17866.856	0	35733.712	35733.712	0.00	100.00	100.00
25	Telangana	191.62	19.162	0	9581	9581	0	19162	19162	0.00	100.00	100.00
26	Tripura	24.83	2.483	0	1241.4065	1241.4065	0	2482.813	2482.813	0.00	100.00	100.00
27	Uttar Pradesh	1420.33	142.033	0	71016.327	71016.327	0	142032.654	142032.654	0.00	100.00	100.00
28	Uttarakhand	61.96	6.196	0	3097.895	3097.895	0	6195.79	6195.79	0.00	100.00	100.00
29	West Bengal	601.84	60.184	0	30091.885	30091.885	0	60183.77	60183.77	0.00	100.00	100.00
30	A&N	0.61	0.061	0	30.431	30.431	0	60.862	60.862	0.00	100.00	100.00
31	Daman & Diu	0.76	0.076	0	38.206	38.206	0	76.412	76.412	0.00	100.00	100.00
32	DNH (Kind)	1.73	0.173	0	86.403	86.403	0	172.806	172.806	0.00	100.00	100.00
33	Lakshadweep	0.22	0.022	0	11	11	0	22	22	0.00	100.00	100.00
34	J&K	72.41	7.241	0	3620.5335	3620.5335	0	7241.067	7241.067	0.00	100.00	100.00
35	Ladakh	1.44	0.144	0	71.9475	71.9475	0	143.895	143.895	0.00	100.00	100.00
Total		7993.27	799.327	52026.08505	347637.176	399663.261	104052.1701	695274.3519	799326.522			
Union Territories or parts thereof implementing DBT Cash												
1	DNH (Cash)	0.36	0.036	0	18.198	18.198	0	36.396	36.396	0.00	100.00	100.00
2	Chandigarh	2.75	0.275	137.569	0	137.569	275.138	0	275.138	100.00	0.00	100.00
3	Puducherry	6.28	0.628	0	314.173	314.173	0	628.346	628.346	0.00	100.00	100.00
Total (DBT)		9.40	0.94	137.569	332.371	469.940	275.138	664.742	939.880			
Grand Total		8002.66	800.27	52163.654	347969.547	400133.201	104327.3081	695939.094	800266.402			

अभय कुमार / ABHA
अवर सचिव / Under
भारत सरकार / Govern
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्व
Ministry of Consumer Affairs, Fo
खाद्य एवं सा. वि. विभाग / Deptt. of
नई दिल्ली-110001/Krishi

Scanned with C